5

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

## अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 12, 2018

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि पट्टा या आवंटन की निम्नलिखित लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और निम्नानुसार प्रभारित किया जायेगा, अर्थात्:-

| क्र.सं. | लिखतों का विवरण | स्टाम्प शुल्क |
|---|---|---|
| 1. | यदि ऐसा पट्टा या आवंटन राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 या 158 के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है। | एक सौ रुपये |
| 2. | यदि ऐसा पट्टा या आवंटन राजस्थान सरकारी अनुदान अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम सं. 20) के अधीन जारी किया गया है। | एक सौ रुपये |
| 3. | यदि ऐसा पट्टा या आवंटन राजस्थान सरकार की स्लम रीडवलपमेंट पॉलिसी-2012 के अधीन जारी किया गया है। | एक सौ रुपये |
| 4. | यदि उपर्युक्त वर्णित पट्टा या आवंटन पुनर्विधिमान्यकरण के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया है। | एक सौ पच्चीस रुपये |

[सं.प.4(3)वित्त/कर/2018-188]
राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण गुप्ता,
शासन सचिव